



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 29986 वर्ष 2025

लक्ष्य गुप्ता
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	अंबिकेश कुमार शर्मा :	प्रतिवादी(यों)
के अधिवक्ता :	जी.ए.	

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अंबिकेश कुमार शर्मा और राज्य के विद्वान एजीए की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अदालत में बयान दिया है कि वे इस रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. विद्वान एजीए को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त बयान के मद्देनजर, यह रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

2 फरवरी, 2026

जफर

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"